

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2016—वैशाख 22, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मई 2016

क्र. 84 (9) वि.निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-128.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-Exit-2016-SDR-Vol.I दिनांक 6 मई 2016 को सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2016

अधिसूचना

सं. 576-एग्जिट-2016-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की 132-घोड़ाडोंगरी ( अ.ज.जा. ), विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा आयोग के दिनांक 29 अप्रैल 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई-पीएन-38-2016 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा.

3. यतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धाराओं की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा दिनांक 30 मई 2016 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 29 अप्रैल 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/38/2016 के द्वारा घोषित मध्यप्रदेश में 132-घोड़ाडोंगरी ( अ.ज.जा. ), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अनुज जयपुरियार)  
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 6<sup>th</sup> May 2016

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2016-SDR.-Vol.I.—WHEREAS, the schedule for the Bye-Election to the **132-Ghoradongri (ST) Assembly Constituency of Madhya Pradesh**, has been announced by the Commission *vide* Press Note No. ECI/PN/38/2016 dated 29<sup>th</sup> April 2016.

2. AND, WHEREAS, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R. P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 5.30 P.M. on 30<sup>th</sup> May 2016 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-election announced *vide* the Commission's Press Note No. ECI/PN/38/2016, dated 29<sup>th</sup> April 2016 from **132-Ghoradongri(ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-election.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)  
Secretary.